5. Secretary, Deptt. of Posts
6. Secretary, Deptt, of Telecom
7. Secretary, Deptt. of Health
8. Secretary, Deptt. of Sc. & Tech.
9. Member (Staff), Railway Board
10. Dy. Comptroller & Auditor General of India
11. Secretary, Ministry of Home Affairs

(c) to (e) The Staff Side of the National Council of the Joint Consultative Machinery is consulted before appropriate decision are taken by the Government JCM represents interest of most Non-gazetted employees.

Legislation for unexplained money

2443. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to st;itc:

(a) whether Government have decided to bring forward a legislation relating to anti-black money law to make to mere possession of unexplained money which cannot be proved by the holder as having been earned via legitimate means, a punishable offence;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by when it is proposed to be enacted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) to (c) Ministry of Finance had appointed a committee to look into all aspects of money laundering, and to suggest a suitable legislation to deal with the problem. The Committee is yet to submit its report to the Ministry.

राष्ट्रीयकृत बैंको मं धोखाधडी

2444श्री रामजीलाल: क्या वित्त मत्रि यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राष्ट्रीउकृत बैंखॉ के नाम क्या-क्या है, जहां गत दो वर्षो के दौरान घोखाधडी की घटनाए घटी है और तत्संभंधी ब्यौरा क्या है

(ख) अभी तक कितनी धनराशि की वसूली कर ली गई तथा शेष धनराशि की वसूली के लिये क्या कार्यवाही कि गई है; और

(ग) सरकार द्वारा धोखाधडी की इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) जनवरी, 1995 से सितम्बर, 1996 तक की अवधि के दौरान, सभी 19 राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को 2178 धोखाधडियों की सूचना दी गई है जिनमें 280.73 करोड़ रू. की कुल राशि अन्तर्ग्रस्त है। धोखाधडियों के मामले में अन्तर्ग्रस्त राशियां अनिवार्यत: उन वास्तविक घाटों को नही दर्शाती है जो अंतत: बैकों को हो सकते है। आमतौर पर बैंक अपने द्वारा दिए गए अग्रिमों को कवर करने के लिये कुछ प्रतिभूतियां रखते है। बैंक सिविल और आपराधिक मुकदमें भी दायर करते है और उपयुक्त राहतें पाने का प्रयास करते है। भारतीय रिजर्व बैंक की आकड़ा सूचना प्रणाली से धोखाधडी के मामले में अन्तर्ग्रस्त राशियों की वसूली से संबंधित जानकारी प्राप्त नही होती है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधडियों एवं अनियमितताओं को रोकने के लिए आंतरिक नियत्रण एवं लेखा-परीक्षा प्रणालियों को सुदृढ करने के लिए उपाय किए गए है। बोर्ड स्तर की प्रबंध समितियां एवं लेखा परीक्षा समितियां स्थापित की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंको से यह भी कहा है कि वे अपनी बडी शाखाओं में रस्मवर्ती लेखा-परीक्षक नियुक्त करे, ताकि निर्धारित क्रियाविधियों का अनुपालन न करने का अविलम्ब पता लगाया जा सके। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंको में सतर्कता तंत्र है, तो निवारक एवं पता लगाने संभंधी उपाय करने के लिए